न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर गाजुवास

अनुवान सुमेर चौधरी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – ...11.... / 2025

निर्णय दिनांक ......03/07/...2025....

सुमेर चौधरी पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा महेन्द्रवास खाता संख्या 111 खसरा सं. 293/61 तादादी 2.8578 हैक्ट. कृषि भूमि रोही मौजा गाजुवास के खाता संख्या 97 ख.नं. 307/211 तादादी 2.0116 हैक्ट., ख.नं. 35 तादादी 4.6407 हैक्ट. ख.नं. 37 तादादी 3.5785 हैक्ट. कृषि भूमि रोही मौजा गडाना खाता संख्या 151 खं.नं. 184 तादादी 0.4932 हैक्ट., ख.नं. 471/261 तादादी 1.9220 हैक्ट. व कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी के खाता संख्या 165 के ख.नं. 341/178 तादादी 0.5943 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सुमेरसिंह पुत्र मालाराम व सुमेरसिंह सहारण पुत्र मालाराम दर्ज हो गया, जो गलत है। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य जमाबंदी खेत खसरा नं. 136/36 व 93/36 में नाम सुमेर चौधरी दर्ज है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा महेन्द्रवास खाता संख्या 111 खसरा सं. 293/61 तादादी 2.8578 हैक्ट. कृषि भूमि रोही मौजा गाजुवास के खाता संख्या 97 ख.नं. 307/211 तादादी 2.0116 हैक्ट., ख.नं. 35 तादादी 4.6407 हैक्ट. ख.नं. 37 तादादी 3.5785 हैक्ट. कृषि भूमि रोही मौजा गडाना खाता संख्या 151 खं.नं. 184 तादादी 0.4932 हैक्ट., ख.नं. 471/261 तादादी 1.9220 हैक्ट. व कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी के खाता संख्या 165 के ख.नं. 341/178 तादादी 0.5943 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम सुमेर चौधरी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत गाजुवास में पत्रावली पेशी में ली गई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम सुमेरसिंह पुत्र मालाराम व सुमेरसिंह सहारण पुत्र मालाराम तथा सुमेर चौधरी एक ही व्यक्ति के दो नाम है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सुमेर चौधरी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुमेरसिंह पुत्र मालाराम व सुमेरसिंह सहारण पुत्र मालराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा महेन्द्रवास खाता संख्या 111 खसरा सं. 293/61

Rajendra

तादादी 2.8578 हैक्ट. कृषि भूमि रोही मौजा गाजुवास के खाता संख्या 97 ख.नं. 307 / 211 तादादी 2.0116 हैक्ट., ख.नं. 35 तादादी 4.6407 हैक्ट. ख.नं. 37 तादादी 3.5785 हैक्ट. कृषि भूमि रोही मौजा गडाना खाता संख्या 151 ख.नं. 184 तादादी 0.4932 हैक्ट., ख.नं. 471 / 261 तादादी 1.9220 हैक्ट. व कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी के खाता संख्या 165 के ख.नं. 341 / 178 तादादी 0.5943 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सुमेरसिंह व सुमेरसिंह सहारण Delete कर इसके स्थान पर सुमेर चौधरी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....03/07/2025.... को कोर्ट कैंप गाजुवास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)